129

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर शिविर, भोपाल

निग-2446-II-16 प्र0क्रं0–निगरानी /16 सीहोर

चन्दर सिंह आ0 स्व0श्री प्रहलाद सिंह
निवासी–ग्राम रेऊगांव, तह0–रेहटी,
जिला–सीहोर (म0प्र0) ---- **निगरानीकर्ता**

विरूद्ध

रजनीदेवी पत्नि श्री माखन सिंह
निवासी–रोहताव (रोहतास) नगर,
पिपलानी, जिला भोपाल (म0प्र0)---- **प्रत्यर्थी**

निगरानी अंतर्गत धारा–50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता–1959

महोदय,

विद्वान अनुविभागीय अधिकारी महोदय, बुधनी द्वारा प्र0कं0–28/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनाँक 10.06.2016 जिसके द्वारा उन्होंने अपने आदेश दिनांक 11.05.2016 निरस्त किया, से दुःखित एवं असंतुष्ट होकर यह निगरानी समयावधि में प्रस्तुत है।

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी ने निगरानीकर्ता के विरुद्ध धारा–50 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता–1959 का आवेदन प्रस्तुत किया, जो प्र0कं0–2/अ–70/14–15 दर्ज होकर अंतिम आदेश दिनांक 02.08.2015 द्वारा निगरानीकर्ता के विरुद्ध बेदखली के आदेश पारित किये गये, जिसके विरुद्ध निगरानीकर्ता द्वारा विधिवत अपील प्रस्तुत कर धारा–52 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता आवेदन प्रस्तुत किया गया, जो उनके आदेश दिनांक 11.05.2016 को स्वीकार किया जाकर अधिनस्थ न्यायालय के आदेश के क्रियान्वयन को अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड आने तक स्थगित किया गया, जो आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त करते हुए

निरंतर...2...

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक निगरानी 2446–दो/16 जिला –सीहोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही अथवा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
23-8-.16	आवेदक के अधिवक्ता श्री मेहरवान सिंह उपस्थित। उनके द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी बुधनी जिला सीहोर के प्रकरण कमांक 28/अपील/15–16 में पारित आदेश दिनांक 11.5.16 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अन्तर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। 2– प्रकरण का सारांश इस प्रकार है कि अनावेदक ने निगरानीकर्ता के विरूद्ध धारा–50 के अन्तर्गत निगरानी प्रस्तुत की जिसमें आदेश दिनांक 2.8.15 द्वारा निगरानीकर्ता के विरूद्ध वे दखली के आदेश पारित किये गये जिसके विरूद्ध निगरानीकर्ता द्वारा विधिवत अपील प्रस्तुत कर धारा 52 म0प्र0 भू–राजस्व संहिता आवेदन प्रस्तुत किया गया जो उनके आदेश दिनांक 11.5.16 को स्वीकार किया जाकर अधीनस्थके आदेश के कियान्वयन को अधिनस्थ न्यायालय के रिकार्ड आने तक स्थगित किया गया जो आलोच्य आदेश द्वारा निरस्त करते हुये धारा–5 अवधि विधान पर तर्क हेतु नियत किया गया था जिससे दुखित होकर यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।	

क्रमशः

3– आवेदक अधिवक्ता का तर्क है कि अधिनस्थ न्यायालय का आदेश विधि प्रकिया एवं सहज न्याय के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। आगे उनके द्वारा तर्क में कहा गया है कि उभयपक्ष के अधिवक्ता उपस्थित हैं एवं प्रकरण में रिकार्ड प्राप्त है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को स्थगन आदेश निरस्त करने की बजाय प्रकरण में तर्क श्रवण कर प्रकरण गुण दोषों के आधार पर अंतिम निराकरण किया जाना चाहिये था। जो उनके द्वारा नहीं किया गया ऐसे आलोच्य आदेश को प्रथम दृष्टया ही निरस्त किया जाना चाहिये। अंत में उनके द्वारा निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया है।

4– आवेदक अधिवक्ता के तर्क सुने तथा प्रकरण में संलग्न दस्तावेजों का अध्ययन किया गया । आवेदक अधिवक्ता के तर्को के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 11.5.16 को अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को कियान्वयन स्थगित करते हुये अभिलेख आने तक का स्थगन जारी किया गया है तथा आवेदक का धारा 52 का आवेदन स्वीकार किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी की आदेश पत्रिका दिनांक 10.6.16 के अनुसार आवेदक के अधिवक्ता द्वारा निवेदन किया गया था कि आवेदक बीमार होने के कारण न्यायालय में उपस्थित नहीं हो सका था इसलिये आगे स्थगन बढाया जावे। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 11.5.16 को जो

स्थगन दिया गया था उसमें लेख किया गया था कि प्रकरण में अभिलेख आने तक स्थगन दिया जाता है और प्रकरण में अभिलेख आ चुका था इसलिये अनुविभागीय अधिकारी द्वारा स्थगन बढ़ाया नहीं गया है। प्रकरण धारा–5 अवधि विधान के आवेदन पर तर्क हेतु पेशी दिनांक 27.6.16 नियत की गई थी । लेकिन आवेदक अधिवक्ता का यह तर्क मानने योग्य नहीं है कि प्रकरण गुण दोष के आधार पर निराकरण किया जाना था पहले धारा–5 के आवेदन का निराकरण किया जाना न्यायोचित होगा, तदोपरांत प्रकरण का निराकरण गुण दोष के आधार पर किया जाना है।

5– उपरोक्त विवेचना के आधार पर मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि दिनांक 10.6.16 अनुविभागीय अधिकारी का अंतिरिम आदेश में हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं समझाता हूँ । अतः आवेदक द्वारा प्रस्तुत निगरानी ग्राह्य योग्य नहीं होने से अग्राह की जाती है। पक्षकार सूचित हों। राजस्व मण्डल का प्रकरण अभिलेखागार में संचय हेतु भेजा जावे। आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जावे।

सदस्य